मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/F1-49/2011/20-1 भोपाल, दिनांक 10/1/12

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
6. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :– संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए विज्ञापन का प्रारूप।

—0—

मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 के नियम 6 उप नियम (8) में प्रावधान है कि – "संविदा शाला शिक्षक के नियोजन के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य सरकार के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी।" इस प्रावधान के अधीन राज्य सरकार संविदा शाला शिक्षकों के विज्ञापन की प्रक्रिया निम्नलिखित अनुसार निर्धारित करती है :–

1. नियम 2005 के नियम–4 में संविदा शाला शिक्षकों के रिक्तियों के आंकलन का प्रावधान दिया गया है। जिसके अनुसार रिक्त पदों के आंकलन की कार्यवाही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाना है।
2. रिक्त पदों का शासन स्तर से अनुमोदन किया जाकर संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन हेतु रिक्त पद जिलों को उपलब्ध कराये जायेगें।
3. जिला स्तर से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमोदित एवं रिक्त पदों को नियुक्तिकर्तावार/श्रेणीवार (श्रेणी–1,2 एवं 3)/विषयवार/आरक्षणवार रिक्त पदों की जानकारी संलग्न विज्ञापन के निर्धारित प्रारूप में तैयार कर प्रमाणित जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में निर्धारित दिनांक तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

4. जिले से प्राप्त बिन्दु क्रमांक (3) में उल्लेखित जानकारी को संचालनालय द्वारा एज्यूकेशन पोर्टल एवं इस संबंध में तैयार की गई वेबसाइट पर संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए रखी जायेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

10.1.12
अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 10/1/12

पृष्ठां क्रमांक f 1-49/2011/20-1
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण,संचालनालय म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

10.1.12
अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

Desktop/E.E.2010/notsheet&letter

विज्ञापन का प्रारूप

कार्यालय कलेक्टर ....जिला .... मध्यप्रदेश

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के लिये नियोजन हेतु विज्ञापन

म.प्र. पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम, 2005 के नियम–6 (8) में दिये गये प्रावधान के अधीन, व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल, के द्वारा दिनांक / /2011 को आयोजित "संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 की पात्रता परीक्षा 2011" में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों से जिला ....अन्तर्गत जिला पंचायत/नगरीय निकाय के विद्यालयों में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के निम्नानुसार रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.	निकाय का नाम	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के विषय	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
		हिन्दी					
		अंग्रेजी					
		संस्कृत					
		उर्दू					
		गणित					
		भौतिकशास्त्र					
		रसायनशास्त्र					
		जीवविज्ञान					
		अर्थशास्त्र					
		इतिहास					
		भूगोल					
		राजनीतिशास्त्र					
		कृषि					
		वाणिज्य					
		गृह विज्ञान					

1. मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम, 2005 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम, 2005 के नियम 6 (7) (ख) के अनुसार आरक्षण निम्नानुसार होगा–

अ. महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत।

ब. भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 प्रतिशत।

स. निःशक्त व्यक्तियों के लिए कण्डिका–1 में वर्णित उपरोक्त पदों में से विभिन्न प्रवर्गो के लिए विकलांगों हेतु आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/डी/380/1773/05/ आ0प्र0/एक, दिनांक 24.03.06 के निम्नानुसार होगा :–

क्र.	निकाय का नाम	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के विषय	अनारक्षित		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		कुल	
			दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		हिन्दी										
		अंग्रेजी										
		संस्कृत										
		उर्दू										
		गणित										
		भौतिकशास्त्र										
		रसायनशास्त्र										
		जीवविज्ञान										
		अर्थशास्त्र										
		इतिहास										
		भूगोल										
		राजनीतिशास्त्र										
		कृषि										
		वाणिज्य										
		गृह विज्ञान										

2. **शैक्षणिक योग्यता एवं आयु :–**

1) "संबंद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड़ या उसके समकक्ष.".

(2) उपरोक्त क्रमांक (1) अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यार्थी पर्याप्त संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के खण्ड 23 (2) अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के उपरांत राज्य सरकार के निर्देश पर स्थानीय निकाय अप्रशिक्षत व्यक्तियों को संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्त करेगी।

(3) न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष

3. **अर्हताएं :– आवेदक के लिए अर्हताएं**

(1) वे ही अभ्यर्थी संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियोजन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन आवेदन दे सकेंगें जिन्होने संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियम – 6 के उप नियम (5) के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये हो,

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों या किन्हीं अन्य वर्गों के लिये उच्चतर आयु सीमा में छूट, सरकार के ऐसे नियमों के अनुसार होगी जो नियोजन के समय प्रवृत हो,

(3) महिला अभ्यर्थी के लिये अन्य छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी,

(4) सरकारी स्कूलों के लिए नियुक्त किए गए मानसेवी शिक्षकों तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक को 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में पन्द्रह वर्ष की छूट दी जाएगी।

परन्तु व्यावसायिक शिक्षा के ऐसे अंशकालीन शिक्षक जिन्होने अंशकालीन शिक्षक के रूप में कार्य किया है एवं उनका कार्य असंतोष जनक पाये जाने के आधार पर उनकी नियुक्ति समाप्त की गई हो उन्हें यह छूट प्राप्त नहीं होगी।

(5) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया है और जो संविदा शाला शिक्षक के नियोजन के लिए नए सिरे से आवेदन करेंगे, वे उच्चतम आयु में उतनी कालावधि की छूट के हकदार होगें जितनी कालावधि के लिए

उनके द्वारा पूर्व में संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो. इस आधार पर यह छूट अधिकतम नौ वर्ष के लिए होगी बशर्ते उनकी संविदा उनके कार्य को असंतोषजनक पाये जाने पर समाप्त नहीं कर दी गई हो,

(6) दैनिक वेतनभोगी कर्मकारों को, जो या तो कार्यरत हों अथवा जिनकी राज्य सरकार द्वारा छटनी की गई हो, उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के बराबर उच्चतर आयु सीमा में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, कि अभ्यर्थी ने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

(7) विधवा अथवा तलाकशुदा अभ्यार्थी को अधिकतम आयु सीमा में, अन्य छूट के अतिरिक्त पांच वर्ष की छूट रहेगी।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अतिथि शिक्षक के रूप में सरकारी स्कूल में न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्र तक कार्य किया है, वे उच्चतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट के हकदार होगें।

(9) संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए कालम (7)– नुसूची–दो की अभ्युक्तियों में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं संविदा शाला शिक्षकों के अन्य तत्स्थानी पदों के लिए भी स्वीकार्य होंगी।

4. **निरर्हताएं** :– नियम, 2005 की अनुसूची–दो का नोट (ख) निरर्हताएं – में प्रावधानित नियमों के अनुसार होगी ।

5. **संविदा पारिश्रमिक** :– नियम, 2005 की अनुसूची–एक के अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के लिए मासिक संविदा पारिश्रमिक (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत) ₹ 9000 देय हैं।

6. **नियोजन प्रक्रिया एवं चयन का मापदण्ड** : म0प्र0 पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम, 2005 के नियम–6 (9) के अनुसार होगी ।

7. **संविदा नियोजन की कालावधि एवं संविदा कालावधि में वृद्धि** :–"संविदा शाला शिक्षक" के पद के लिए चयनित प्रत्येक व्यक्ति, किसी विशिष्ट स्कूल के लिये अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये संविदा पर नियोजित किया जाएगा । उससे इन नियमों में संलग्न परिशिष्ट में विहित किये गये प्रारूप में संविदा करने की अपेक्षा की जायेगी । प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये नियोजनकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संविदा शाला शिक्षक के कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन, यथा विहित प्रारूप में संधारित किया जाएग :

परन्तु सरकार के निर्देश पर चयनित व्यक्ति का नियोजन आवश्यकतानुसार तीन वर्ष से कम की कालावधि के लिये किया जा सकेगा एवं उसकी संविदा की कालावधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी । संविदा कालावधि में वृद्वि नियम, 2005 के नियम–9 के अधीन होगी ।

8. **पिछड़ी आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध** :– नियम, 2005 के नियम–7 के अनुसार होंगे।

9. **ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की तिथि** :– ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक से दिनांक तक आमंत्रित किये जायेगें।

10. **चयन सूची का ऑनलाईन प्रकाशन :–** निकायवार/विषयवार/आरक्षणवार अंतिम रूप से चयनित अभ्यार्थियों की सूची का ऑनलाईन प्रकाशन किया जायेगा। जिसकी सूचना पृथक से दी जायेगी।

11. **एकीकृत काउंसिलिंग :–** जिले में रिक्त पदों की जानकारी नियुक्तिकर्ता अधिकारीवार ऑनलाईन रखी जायेगी। जिला मुख्यालय पर एकीकृत काउंसिलिंग जिला कलेक्टर ....के समन्वय में नियोजनकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक .... से दिनांक .... के मध्य की जाएगी एवं मौका स्थल पर नियुक्ति एवं संविदा की कार्यवाही संपन्न होगी।

कलेक्टर
जिला .... (म.प्र.)

विज्ञापन का प्रारूप

कार्यालय कलेक्टर ....जिला .... मध्यप्रदेश

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के लिये नियोजन हेतु विज्ञापन

म.प्र. पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम–6 (8) में दिये गये प्रावधान के अधीन, व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल, के द्वारा दिनांक / /2011 को आयोजित "संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 की पात्रता परीक्षा 2011" में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों से जिला ....अन्तर्गत जिला पंचायत/नगरीय निकाय के विद्यालयों में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के निम्नानुसार रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.	निकाय का नाम	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के विषय	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
		हिन्दी					
		अंग्रेजी					
		संस्कृत					
		उर्दू					
		गणित					
		विज्ञान					
		सामाजिक विज्ञान					

1. मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम 6 (7) (ख) के अनुसार आरक्षण निम्नानुसार होगा–

अ. महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत।

ब. भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 प्रतिशत।

स. निःशक्त व्यक्तियों के लिए कण्डिका–1 में वर्णित उपरोक्त पदों में से विभिन्न प्रवर्गो के लिए विकलांगों हेतु आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/डी/380/1773/05/ आ0प्र0/एक, दिनांक 24.03.06 के निम्नानुसार होगा :–

क्र.	निकाय का नाम	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के विषय	अनारक्षित		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		कुल	
			दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		हिन्दी										
		अंग्रेजी										
		संस्कृत										
		उर्दू										
		गणित										
		विज्ञान										
		सामाजिक विज्ञान										

1. **शैक्षणिक योग्यता एवं आयु :–**

(1) नियम, 2005 की अनुसूची–दो के सरल क्रमांक (दो) में उल्लेखित अनुसार।

(2) उपरोक्त क्रमांक (1) अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यार्थी पर्याप्त संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के खण्ड 23 (2) अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के उपरांत राज्य सरकार के निर्देश पर स्थानीय निकाय अप्रशिक्षत व्यक्तियों को संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्त करेगी।

(3) न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष

2. **अर्हताएं :– आवेदक के लिए अर्हताएं**

(1) वे ही अभ्यर्थी संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियोजन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन आवेदन दे सकेंगें जिन्होने संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियम – 6 के उप नियम (5) के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये हो,

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों या किन्हीं अन्य वर्गों के लिये उच्चतर आयु सीमा में छूट, सरकार के ऐसे नियमों के अनुसार होगी जो नियोजन के समय प्रवृत हो,

(3) महिला अभ्यर्थी के लिये अन्य छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी,

(4) सरकारी स्कूलों के लिए नियुक्त किए गए मानसेवी शिक्षकों तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक को 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में पन्द्रह वर्ष की छूट दी जाएगी।

परन्तु व्यावसायिक शिक्षा के ऐसे अंशकालीन शिक्षक जिन्होने अंशकालीन शिक्षक के रूप में कार्य किया है एवं उनका कार्य असंतोष जनक पाये जाने के आधार पर उनकी नियुक्ति समाप्त की गई हो उन्हें यह छूट प्राप्त नहीं होगी।

(5) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया है और जो संविदा शाला शिक्षक के नियोजन के लिए नए सिरे से आवेदन करेंगे, वे उच्चतम आयु में उतनी कालावधि की छूट के हकदार होगें जितनी कालावधि के लिए उनके द्वारा पूर्व में संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो. इस आधार पर यह छूट अधिकतम नौ वर्ष के लिए होगी बशर्ते उनकी संविदा उनके कार्य को असंतोषजनक पाये जाने पर समाप्त नहीं कर दी गई हो,

(6) दैनिक वेतनभोगी कर्मकारों को, जो या तो कार्यरत हों अथवा जिनकी राज्य सरकार द्वारा छटनी की गई हो, उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के बराबर उच्चतर आयु सीमा में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, कि अभ्यर्थी ने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

(7) विधवा अथवा तलाकशुदा अभ्यार्थी को अधिकतम आयु सीमा में, अन्य छूट के अतिरिक्त पांच वर्ष की छूट रहेगी।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अतिथि शिक्षक के रूप में सरकारी स्कूल में न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्र तक कार्य किया है, वे उच्चतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट के हकदार होगें।

(9) संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए कालम (7)– नुसूची–दो की अभ्युक्तियों में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं संविदा शाला शिक्षकों के अन्य तत्स्थानी पदों के लिए भी स्वीकार्य होंगी,

3. **निरर्हताएं :–** नियम, 2005 की अनुसूची–दो का नोट (ख) निरर्हताएं – में प्रावधानित नियमों के अनुसार होगी ।

4. **संविदा पारिश्रमिक** :– नियम, 2005 की अनुसूची–एक के अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के लिए मासिक संविदा पारिश्रमिक (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत) ₹ 7000 देय हैं।

5. **नियोजन प्रक्रिया एवं चयन का मापदण्ड** : म0प्र0 पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम–6 (9) के अनुसार होगी ।

6. **संविदा नियोजन की कालावधि एवं संविदा कालावधि में वृद्वि** :–"संविदा शाला शिक्षक" के पद के लिए चयनित प्रत्येक व्यक्ति, किसी विशिष्ट स्कूल के लिये अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये संविदा पर नियोजित किया जाएगा । उससे इन नियमों में संलग्न परिशिष्ट में विहित किये गये प्रारूप में संविदा करने की अपेक्षा की जायेगी । प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये नियोजनकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संविदा शाला शिक्षक के कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन, यथा विहित प्रारूप में संधारित किया जाएग :

   परन्तु सरकार के निर्देश पर चयनित व्यक्ति का नियोजन आवश्यकतानुसार तीन वर्ष से कम की कालावधि के लिये किया जा सकेगा एवं उसकी संविदा की कालावधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी । संविदा कालावधि में वृद्वि नियम, 2005 के नियम–9 के अधीन होगी ।

7. **पिछड़ी आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध** :– नियम, 2005 के नियम–7 के अनुसार होंगे।

8. **ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की तिथि** :– ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक .... से दिनांक .... तक आमंत्रित किये जायेगें।

9. **चयन सूची का ऑनलाईन प्रकाशन** :– निकायवार/विषयवार/आरक्षणवार अंतिम रूप से चयनित अभ्यार्थियों की सूची का ऑनलाईन प्रकाशन किया जायेगा। जिसकी सूचना पृथक से दी जायेगी।

10. **एकीकृत काउंसिलिंग** :– जिले में रिक्त पदों की जानकारी नियुक्तिकर्ता अधिकारीवार ऑनलाईन रखी जायेगी। जिला मुख्यालय पर एकीकृत काउंसिलिंग जिला कलेक्टर के समन्वय में नियोजनकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक .... से दिनांक .... तक के मध्य की जाएगी एवं मौका स्थल पर नियुक्ति एवं संविदा की कार्यवाही संपन्न होगी।

कलेक्टर
जिला .... (म.प्र.)

विज्ञापन का प्रारूप

कार्यालय कलेक्टर .... जिला .... मध्यप्रदेश

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के लिये नियोजन हेतु विज्ञापन

म.प्र. पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम–6 (8) में दिये गये प्रावधान के अधीन, व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल, के द्वारा दिनांक / /2011 को आयोजित "संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 की पात्रता परीक्षा 2011" में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों से जिला ....अन्तर्गत जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के विद्यालयों में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के निम्नानुसार रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.	निकाय का नाम	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
1	2	3	4	5	6	7

1. मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम 6 (7) (ख) के अनुसार आरक्षण निम्नानुसार होगा–

अ. महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत।

ब. भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 प्रतिशत।

स. निःशक्त व्यक्तियों के लिए कण्डिका–1 में वर्णित उपरोक्त पदों में से विभिन्न प्रवर्गो के लिए विकलांगों हेतु आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/डी/380/1773/05/ आ0प्र0/एक, दिनांक 24.03.06 के निम्नानुसार होगा :–

क्र.	निकाय का नाम	अनारक्षित		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		कुल	
		दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 **शैक्षणिक योग्यता एवं आयु :-**

(1) नियम, 2005 की अनुसूची–दो के सरल क्रमांक (तीन) में उल्लेखित अनुसार।

(2) उपरोक्त क्रमांक (1) अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यार्थी पर्याप्त संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के खण्ड 23 (2) अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के उपरांत राज्य सरकार के निर्देश पर स्थानीय निकाय अप्रशिक्षत व्यक्तियों को संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्त करेगी।

(3) न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष

2. **अर्हताएं :- आवेदक के लिए अर्हताएं**

(1) वे ही अभ्यर्थी संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियोजन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन आवेदन दे सकेंगें जिन्होने संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियम – 6 के उप नियम (5) के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये हो,

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों या किन्हीं अन्य वर्गों के लिये उच्चतर आयु सीमा में छूट, सरकार के ऐसे नियमों के अनुसार होगी जो नियोजन के समय प्रवृत हो,

(3) महिला अभ्यर्थी के लिये अन्य छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी,

(4) सरकारी स्कूलों के लिए नियुक्त किए गए मानसेवी शिक्षकों तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक को 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में पन्द्रह वर्ष की छूट दी जाएगी।

परन्तु व्यावसायिक शिक्षा के ऐसे अंशकालीन शिक्षक जिन्होने अंशकालीन शिक्षक के रूप में कार्य किया है एवं उनका कार्य असंतोष जनक पाये जाने के आधार पर उनकी नियुक्ति समाप्त की गई हो उन्हें यह छूट प्राप्त नहीं होगी।

(5) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया है और जो संविदा शाला शिक्षक के नियोजन के लिए नए सिरे से आवेदन करेंगे, वे उच्चतम आयु में उतनी कालावधि की छूट के हकदार होगें जितनी कालावधि के लिए उनके द्वारा पूर्व में संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो. इस आधार पर यह छूट अधिकतम नौ वर्ष के लिए होगी बशर्ते उनकी संविदा उनके कार्य को असंतोषजनक पाये जाने पर समाप्त नहीं कर दी गई हो,

(6) दैनिक वेतनभोगी कर्मकारों को, जो या तो कार्यरत हों अथवा जिनकी राज्य सरकार द्वारा छटनी की गई हो, उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के बराबर उच्चतर आयु सीमा में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, कि अभ्यर्थी ने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

(7) विधवा अथवा तलाकशुदा अभ्यार्थी को अधिकतम आयु सीमा में, अन्य छूट के अतिरिक्त पांच वर्ष की छूट रहेगी।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अतिथि शिक्षक के रूप में सरकारी स्कूल में न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्र तक कार्य किया है, वे उच्चतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट के हकदार होगें।

(9) संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए कालम (7)– नुसूची–दो की अभ्युक्तियों में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं संविदा शाला शिक्षकों के अन्य तत्स्थानी पदों के लिए भी स्वीकार्य होंगी,

3. **निरर्हताएं** :- नियम, 2005 की अनुसूची–दो का नोट (ख) निरर्हताएं – में प्रावधानित नियमों के अनुसार होगी ।

4. **संविदा पारिश्रमिक :-** नियम, 2005 की अनुसूची-एक के अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 के लिए मासिक संविदा पारिश्रमिक (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत) ₹ 5000 देय हैं।

5. **नियोजन प्रक्रिया एवं चयन का मापदण्ड :** म0प्र0 पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम-6 (9) के अनुसार होगी ।

6. **संविदा नियोजन की कालावधि एवं संविदा कालावधि में वृद्वि :-**"संविदा शाला शिक्षक" के पद के लिए चयनित प्रत्येक व्यक्ति, किसी विशिष्ट स्कूल के लिये अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये संविदा पर नियोजित किया जाएगा । उससे इन नियमों में संलग्न परिशिष्ट में विहित किये गये प्रारूप में संविदा करने की अपेक्षा की जायेगी । प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये नियोजनकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संविदा शाला शिक्षक के कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन, यथा विहित प्रारूप में संधारित किया जाएग :

   परन्तु सरकार के निर्देश पर चयनित व्यक्ति का नियोजन आवश्यकतानुसार तीन वर्ष से कम की कालावधि के लिये किया जा सकेगा एवं उसकी संविदा की कालावधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी । संविदा कालावधि में वृद्वि नियम, 2005 के नियम-9 के अधीन होगी ।

7. **पिछड़ी आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध :-** नियम, 2005 के नियम-7 के अनुसार होंगे।

8. **ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की तिथि** :- ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक .... से दिनांक .... तक आमंत्रित किये जायेगें।

9. **चयन सूची का ऑनलाईन प्रकाशन :-** निकायवार/विषयवार/आरक्षणवार अंतिम रूप से चयनित अभ्यार्थियों की सूची का ऑनलाईन प्रकाशन किया जायेगा। जिसकी सूचना पृथक से दी जायेगी।

10. **एकीकृत काउंसिलिंग** :- जिले में रिक्त पदों की जानकारी नियुक्तिकर्ता अधिकारीवार ऑनलाईन रखी जायेगी। जिला मुख्यालय पर एकीकृत काउंसिलिंग जिला कलेक्टर के समन्वय में नियोजनकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक .... से दिनांक .... तक के मध्य की जाएगी एवं मौका स्थल पर नियुक्ति एवं संविदा की कार्यवाही संपन्न होगी।

कलेक्टर

जिला .... (म.प्र.)